रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240897 CG-DL-E-08122022-240897

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775] No. 775] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 868( अ).—केंद्रीय सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु: -

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में, नियम 43क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"43 क. घर से कार्य - (1) कोई इकाई इस नियम के अनुसार उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट इसके कर्मचारी को घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की अनुमति दे सकेगी है।

8188 GI/2022 (1)

- (2) निम्नलिखित कर्मचारी उप-नियम (1) के अन्तर्गत आते हैं, -
- (i) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों के कर्मचारी;
- (ii) कर्मचारी , जो अस्थायी रूप से असमर्थ हैं;
- (iii) कर्मचारी , जो यात्रा कर रहे हैं; और
- (iv) कर्मचारी , जो ऑफसाइट कार्य कर रहे हैं।
- (3) उप नियम (1) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा 31 दिसंबर, 2023 तक लागू रहेगी।
- (4) घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की प्रसुविधा इकाई के सभी कर्मचारियों को आच्छदित कर सकेगी।
- (5) जहां एक इकाई अपने कर्मचारियों को इस नियम के अधीन घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की अनुज्ञा देती है, तो वह उस तारीख को जिससे घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की सुविधा की अनुज्ञा प्रदान की गई है या उससे पहले विकास आयुक्त को एक ईमेल के माध्यम से सूचित करेगी।

परन्तु जहाँ किसी इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवा संशोधन) नियम, 2022 के आरम्भ होने से पूर्व अपने कर्मचारियों को घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है और अपने कर्मचारियों को इस नियम के अधीन घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है तो वह 31 जनवरी, 2023 को या उससे पूर्व विकास आयुक्त को किसी इमेल के माध्यम से सूचित करेगी।

- (6) इकाई से उन कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिसे घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने का अनुसरण करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है परन्तु इकाई उन कर्मचारियों की सूची इकाई में बनाए रखेगी जिसे घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी और जब भी विकास आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- (7) घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की प्रसुविधा स्वीकार्य होगी, यदि इकाई समय-समय पर यथासंशोधित उनके अनुमोदन पत्र के अनुसार परिसर से कार्य करती रहे।
- (8) इस नियम के अधीन घर से कार्य करने हेतु अनुज्ञा प्रदान किए गये कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला कार्य इकाई के लिए अनुमोदित सेवाओं के अनुसार होगा, तथा कार्य इकाई की परियोजना से संबंधित है।
- (9) इकाई परिणामी उत्पादों या सेवाओं के निर्यात संबंधी राजस्व का हिसाब उस इकाई द्वारा रखा जाना सुनिश्चित करेगी जिसमें कर्मचारी को टैग किया गया है।
- (10) जहां कोई कर्मचारी इकाई की परियोजना का हिस्सा नहीं रह जाता है, कर्मचारी को इकाई से अन-टैग कर दिया जाएगा और इकाई द्वारा नियम 70 के उप-नियम (2) के अनुसार पहचान पत्र अभ्यर्पण किया जाएगा।
- (11) इकाई किसी कर्मचारी को घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कर्मचारी के कार्य करने के लिए आवश्यक लैपटॉप, डेस्कटॉप, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सिहत शुल्क-मुक्त वस्तुएं प्रदान कर सकेगी और उन्हें अस्थायी आधार पर शुल्क या एकीकृत माल और सेवा कर के भुगतान के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

परन्तु घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की प्रसुविधा का चयन करते समय इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि इस तरह की शुल्क मुक्त वस्तुओं का विद्यमान नियमों के अनुसार समुचित अभिलेख में सम्पन्न रूप से हिसाब रखा गया है और यदि आवश्यक हो तो सत्यापन के लिए उपलब्ध है। (12) नियम 50 के उप-नियम (1) में किसी अन्य बात के होते हुए भी, ऐसी शुल्क-मुक्त वस्तुओं को अस्थायी रूप से हटाने की अनुज्ञा घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान से काम करने की प्रसुविधा की वैधता के अनुरूप अविध के लिए प्रदान की जाएगी।

परन्तु यदि कोई इकाई इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क मुक्त वस्तुओं को विशेष आर्थिक क्षेत्र में वापस लाने में विफल रहती है, तो ऐसी वस्तुओं पर लागू शुल्क का संदाय इकाई द्वारा किया जाएगा।

(13) इस नियम में, पद, "कर्मचारियों" में, इकाई के रोल पर या प्रत्यक्ष संविदा के अधीन या जहां इकाई किसी अन्य संगठन के साथ संविदा के अधीन प्रमुख नियोक्ता है, नियोजित सभी व्यक्ति शामिल होंगे जहां इन व्यक्तियों से कार्य के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर इकाई को रिपोर्ट किया जाना प्रत्याशित है और इकाई उनकी उपस्थिति पर नियंत्रण रखती है।

[फा. सं. के-43013(12)/1/2021-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 761(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2022

- **G.S.R. 868(E).** In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, for rule 43A, the following rule shall be substituted, namely:—
  - **'43A. Work from Home.** (1) A Unit may permit its employees, specified in sub-rule (2), to work from home or from any place outside the Special Economic Zone in accordance with this rule.
  - (2) The following employees are covered under sub-rule (1),—
    - (i) employees of Units which provide Information Technology and Information Technology enabled services;
    - (ii) employees, who are temporarily incapacitated;
    - (iii) employees, who are travelling; and
    - (iv) employees, who are working offsite.
  - (3) The permission granted under sub-rule (1) shall be applicable upto the 31st December, 2023.
- (4) The facility for work from home or from any place outside the Special Economic Zone may cover all the employees of the Unit.
- (5) Where a Unit permits its employees for work from home or from any place outside the Special Economic Zone under this rule, it shall intimate the same to the Development Commissioner through an email on or before the date on which the facility for work from home or from any place outside the Special Economic Zone is permitted:

Provided that where a Unit has permitted its employees for work from home or from any place outside the Special Economic Zone, before the commencement of the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2022 and permits its employees for work from home or from any place outside the Special Economic Zone under this rule, it shall intimate the same to the Development Commissioner through an email on or before the 31<sup>st</sup> January, 2023.

- (6) The Unit shall not be required to submit the lists of employees who are allowed to follow work from home or from any place outside the Special Economic Zone, but shall maintain in the Unit the lists of employees who had been permitted to work from home or from any place outside the Special Economic Zone and shall be submitted for verification whenever is required by the Development Commissioner.
- (7) The facility for work from home or from any place outside the Special Economic Zone shall be admissible if the Unit continues to operate from the premises as per their Letter of Approval, as amended from time to time.
- (8) The work to be performed by the employee permitted to work from home under this rule shall be as per the services approved for the Unit, and the work is related to a project of the Unit.
- (9) The Unit shall ensure export revenue of the resultant products or services to be accounted for by the Unit to which the employee is tagged.
- (10) Where an employee ceases to be part of the project of the Unit, the employee shall be un-tagged from the Unit and the Unit shall surrender the identity card as per sub-rule (2) of rule 70.
- (11) The Unit may provide to an employee duty-free goods, including laptop, desktop, and other electronic equipment needed by the employee for work from home or from any place outside the Special Economic Zone and the same shall be allowed to be taken outside the Special Economic Zone without payment of duty or integrated goods and services tax on temporary basis:

Provided that the Units while opting for the facility of work from home or from any place outside the Special Economic Zone shall ensure that such duty-free goods are duly accounted for in the appropriate records as per the extant rules and are available for verification, if necessary.

(12) Notwithstanding anything in sub-rule (1) of rule 50, the temporary removal of such duty-free goods shall be allowed for a period commensurate with the validity of the facility for work from home or anywhere outside the Special Economic Zone:

Provided that if a Unit fails to bring back the duty-free goods into the Special Economic Zone within the period specified in this sub-rule, the duty applicable on such goods shall be paid by the Unit.

(13) In this rule, the expression "employees" shall include all persons employed on the rolls of the Unit or under a direct contract or where the Unit is the principal employer under a contract with another organisation where such persons are expected to report on a day-to-day basis for work to the Unit and the Unit administers the control on their attendance'.

[F. No. K-43013(12)/1/2021-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended vide notification number G.S.R 761 (E), dated the 3rd October, 2022.